न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :-7 / 2024 दायर दिनांक- 09.07.2024
GCMS NO:- 2024/133 पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

सुमन देवी पत्नी बालकिशन जाति सुनार नि. देई तहसील नैनवॉ
प्रार्थीया

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवॉ जिला बून्दी।
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः- अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः-
प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

-:निर्णयः-

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम देई मे खाता संख्या 1527 की भूमि खसरा संख्या 1115 रकबा 0.7281 हैक्टयर, खसरा संख्या 1115/4122 रकबा 0.7362 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसकी प्रार्थीया खातेदार स्वामी है तथा काबिज काश्त होकर फसल बोती व काटती चली आ रही है। प्रार्थीया एक गरीब असहाय महिला है, जो सीधी साधी व सरल स्वाभाव की होने से प्रार्थीया को आस पडौस के खातेदार आये दिन भूमि के सीमांकन को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थीया को भूमि को हांकने जोतने नही देते है। कहते है कि तुम्हाारी भूमि तो पिछे ही रह गयी है यहां मत हांको जिससे प्रार्थीया को भूमि का सीमांकन नही होने से काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

यह कि प्रार्थीया ने उक्त भूमि का सीमांकन करने हेतु दिनांक 21.06.2019 को सीमाज्ञान करने का आवेदन पेश किया था जिस पर नायब तहसीलदार देई द्वारा दिनांक 21.06.2019 को सीमाज्ञान के आदेश जारी किये जिसके आदेश क्रमांक/8/भू0अ0/ दिनांक 11.06.2019 है जिस पर भी पटवारी हल्का मौके पर सीमाज्ञान करने पहुंचे लेकिन पटवारी हल्का ने प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि का सीमाज्ञान नही करके मौका पर्चा तैयार करके यह अंकित कर दिया कि भूमि का सीमज्ञान पुलिस व उच्चाधिकारीयों की मौजुदगी मे किया जाना उचित होगा। तब से लेकर आज दिन तक प्रार्थीया अप्रार्थी के पास सीमाज्ञान करवाने हेतु लिखित व मौखिक मे निवेदन किया लेकिन उक्त भूमि का आज दिन तक सीमाज्ञान नही हो सका। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, सीमाज्ञान आवेदन व मौका पर्चा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 11 माह का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। साथ ही पत्रावली अवलोकन से पाया कि उक्त भूमि के सीमाज्ञान का आवेदन प्रार्थीया द्वारा पूर्व मे किया जा चुका है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम देई मे खाता संख्या 1527 की भूमि खसरा संख्या 1115 रकबा 0.7281 हैक्टयर, खसरा संख्या 1115/4122 रकबा 0.7362 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीया का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायव तहसीलदार अथवा भू-अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/- रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा